अपील सूचना अधिकार संख्या 14/2022 (GCMS 2022/41)(आईटीआई पोर्टल नं. 212173549111799) मनोहरलाल पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान (मोबाईल नं. 7696795006) बनाम उपखण्ड अधिकारी, राजस्व एवं लोक सूचना अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मनोहरलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष पेश कर छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समयावधि में उपलब्ध नही करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत साफ, पठनीय सटीक तथा निःशुल्क वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 10.08.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थीः

1. **राजस्व तहसील सादुलशहर** के वाके चक खाटसजवार के चक 7 एसडीएम ए व 7 एसडीएम बी तथा चक 10 एसडीएस व चक 12 एसडीएस ए व बी में कुल कितनी आराजी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की है? तथा कब से काबिज है? कब्जाधारी कौन-कौन कब्जाधारी का नाम, पिता का नाम, जाति पूर्ण पता तथा कब्जे के आधार सहित अतिक्रमण की [illegible] आराजी सहित प्रमाणित सूचना प्रदान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. उक्त चको में कौन कौन कब्जाधारी किस हैसियत से काबिज है? तथा प्रशासन द्वारा उक्त चको में स्थित कब्जाशुदा आराजी को कब्जा मुक्त करवाने के लिए आजतक क्या–क्या कार्यवाही की है? तथा उक्त चको में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति की कितनी कब्जाशुदा आराजी को आजतक कब्जा मुक्ता करवाया है? इस संबंध में ब्यौरेवार प्रमाणित सूचना प्रदान करें।
3. उक्त चकों में स्थित अनुसूचित जाति /जनजाति की कब्जाशुदा आराजी के संबंध में आजतक प्रशासन द्वारा कितने गैर अनुसूचित जाति के अतिक्रमियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत पुलिस में नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवायी गई है? आजतक दर्ज करवायी गई समस्त एफआईआर की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा कितने मुकदमा न्यायालयों में लंबित है, मुकदमा नम्बर आरोपी का नाम, पता व मुकदमा की स्टेज सहित प्रमाणित सूचना प्रदान करे।
4. यदि आजतक उक्त चको में स्थित आराजी के संबंध में कोई एफआईआर किसी गैर अनुसूचित जाति के किसी अतिक्रमी के खिलाफ दर्ज नही करवायी गई तो क्यो नही करवायी गई? इसके लिए कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम व पता सहित प्रमाणित सूचना प्रदान करें तथा आगामी कितने समय में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? इस संबंध में प्रमाणित सूचना प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. यदि आजतक उक्त चको में स्थित आराजी के संबंध में कोई एफआईआर किसी गैर अनुसूचित जाति के किसी अतिक्रमी के खिलाफ दर्ज नही करवायी गई तो आगामी कितने समय में संबंधित गैर अनुसूचित जाति के अतिक्रमियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी? इस संबंध में प्रमाणित प्रदान करे।
6. आपके कार्यालय के सक्षम प्रथम अपील प्राधिकारी का पद नाम व पते की सूचना प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/22/235 दिनांक 03.03.2022 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए प्रार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को रिमाण्ड की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं के सम्बन्ध में निर्णय की प्राप्ति के 10 दिवस में उसके प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करें। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:34 IST
Reason: SelfAttested